

उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

"वनभूमि"

हस्तान्तरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ-रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम	:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।
ग्राम	:- शीशों-अमरतोंन्दला-बगड़धार, गणेशनगर
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र	:- गणेशनगर,
तहसील	:- ऊखीमठ,
जनपद	:- रुद्रप्रयाग,
क्षेत्रफल	:- 0.735 है० पंचायती वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु। 0.098 है० पंचायती वनभूमि मक इम्पिंग हेतु। कुल वनभूमि = 0.833 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	पृष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	7	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	8-12	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	13-15	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	16	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	17	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	18-19	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।		संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	20-28	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	29	संलग्न है	
13	प्रस्तावित भूमि का लैण्ड रैडयूल।	30-31	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	32	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	33	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	संलग्न है	
17	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	35-38	संलग्न है	
18	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	40-41	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	39	संलग्न है	
20	बौज प्रजाति के वृक्ष प्रस्तावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रस्तावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	43	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	44	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	45-46		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	47		
25	राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्कों/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रस्तावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	48	संलग्न है	
27	लागत लाम विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	49-53	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।

31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	54-56	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	57	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाणपत्र	58	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	59-60	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	61	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	62	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	63	संलग्न है	
38	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	64	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	65	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	-	संलग्न नहीं है।	लागू नहीं है
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	-	"	"
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	-	"	"
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	-	"	"
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	66-70		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	-		लागू नहीं है
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	-		"
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	71-77	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	78	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	80	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	81	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

- 1- परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	शून्य
वन पंचायत भूमि	0.735 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.098 है० मक इम्पिंग हेतु = 0.833 है०
नाप भूमि	1.755 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.173 है० मक इम्पिंग हेतु = 1.928 है०
योग	2.761 है०

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/नहीं

13 - संमंरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

हाँ/नहीं

14 - क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

हाँ/नहीं

15 - क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 - क्या परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

प्रति संलग्न करें)

- 22 - क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा गया है। - ☒ हाँ/नहीं
- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - ☒ हाँ/नहीं
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ☒ हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाओं / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - ☒ हाँ/नहीं
- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) ☒ हाँ/नहीं
- 29-मानचित्र व चार्ट में एकरूपता है ☒ हाँ/नहीं
- 30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है ☒ हाँ/नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है ☒ हाँ/नहीं
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है ☒ हाँ/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं
यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं- ☒ हाँ/नहीं
- 33-यदि वन भूमि तीज पर दी जानी है तो तीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं
- 34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- ☒ हाँ/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है- ☒ हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है
व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


सहस्रक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


वन क्षेत्र अधिकारी
वन संरक्षण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)


उप प्रभागीय वन अधिकारी
उप प्रभागीय वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 737/वि०वि० / 2013-14 दिनांक 26-12-2013 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को बारहमासी संपर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 3.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसकी धनराशी रु० 37.80 लाख है। उक्त मार्ग के संमरक्षण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मक इम्पिंग हेतु	1050	7	0.735 + → 0.098 = 0.833
	वनभूमि का योग:-	1050		0.833
4	नाप भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मक इम्पिंग हेतु	1950	9	1.755 + → 0.173 = 1.928
	कुल योग:-	3000	-	2.761

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authrity Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Instituion name /designation)


(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath

प्रपत्र-2
परिशिष्ट
(देखिए नियम -6)
फार्म- 'क'

1. सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| (i) | अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | :- | जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। |
| (ii) | 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला डिजिटल मैप। | :- | संलग्न |
| (iii) | परियोजना लागत। | :- | रु० 37.80 लाख |
| (iv) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | प्रपत्र 11 (पृष्ठ संख्या 9) के अनुसार |
| (v) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)। | :- | लागू नहीं है। (19-1) |
| (vi) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | 4573 मानव दिवस |
| 2- | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | :- | प्रपत्र 16 (पृष्ठ संख्या 32) के अनुसार |
| 3- | परियोजना के कारण लोगों का हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | लोगों का विस्थापन नहीं हो रहा है। |
| | (i) परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या। | :- | शून्य |
| | (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने लिए)। | :- | नहीं |
| 4- | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं) | :- | संलग्न |
| 5- | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डसवरुप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) | :- | विषय सूची के अनुसार संलग्न है |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा। | :- | |

तिथि 30/12/2017

स्थान रुद्रप्रिया

(ड० मनोज दास)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रियाग)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-3

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-
शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-
जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-
गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वन भूमि का लो०नि०वि० को
हस्तान्तरण।

:- उत्तराखण्ड

:- रुद्रप्रयाग

:- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

:- 0.833 है.

:- पंचायती वनभूमि

:- ~~0.20-0.30~~ 0.20-0.30

:- सूची संलग्न है।

:- भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।

:-

:- नहीं

:- नहीं

:- नहीं

:- प्रस्तावित वनभूमि न्यूनतम है
प्रमाण-पत्र संलग्न है।

:- मार्ग निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ
नहीं किया है अतः कोई उल्लंघन
नहीं हुआ है।

:- संलग्न

:- संलग्न

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टे.में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)।
- (vii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- (viii) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबन्धित की जाए)।
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्तीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
- 8- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर :- संलग्न

- /अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजाति सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। :- संलग्न
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। :-
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धी उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए) :- संलग्न
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) :- संलग्न
12. प्रभाग /जिला प्रोफाइल :- रुद्रप्रयाग वन प्रभाग / रुद्रप्रयाग
- (i) जिले का वन क्षेत्र :- 1984 वर्ग किमी., 1790.995 वर्ग किमी.
- (ii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र :- 606.979 हे. 163 हे.
- (iii) 1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण :- 1158.614 हे.
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- X
- (ख) वनेत्तर भूमिपर :- X
- (अ) 2017 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-
- (क) वन भूमि पर :- 1158.614 हे.
- (ख) वनेत्तर भूमि पर :- X
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। :- परियोजना विकास कार्य से सम्बन्धित ई.सिफारिस की जाती है,


वन क्षेत्राधिकारी
लगसुथमूनि

दिनांक :-
स्थान:-


उप वन संरक्षक
अप्रमिय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-2.2

PART-III

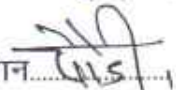
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/ROAD/32113/2018

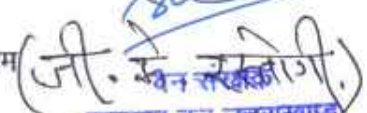
परियोजना का नाम— जिला योजना के अन्तर्गत ककोला - शीशों - अमरतोंन्दला - कलाकोट - जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहायक परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत बाँज प्रजाति के कुल 10 वृक्ष प्रभावित होंगे।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	परियोजना विकास कार्य से सम्बन्धित है जिनसे जमीन में संसृति की जाती है।

दिनांक 27-6-2018

स्थान 

हस्ताक्षर 

नाम (जी. के. रमेश) 
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड
पीडी

भाग V

18. राज्य सरकार सिफारिश। :-

(उपर्युक्त भाग II या भाग III या भाग IV में :-
किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

हस्ताक्षर

दिनांक:-

स्थान:-

नाम:-

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/ विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी
रूड़ प्रयाग

अधिसूची अभियन्ता
प्रांतीय/निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
रूड़ प्रयाग/ऊखीमठ

/विधि/2013-14

दिनांक / 30/11/2013

विषय:-

जिला योजना वर्ष 2013-14 के तहत दिनांक 12/12/2013 को जिला सहायक एवं परिवहन समन्वय समिति के बैठक में प्रस्तुत एवं सवीकृत कार्यों के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध

उपरोक्त वर्णित विषय में सम्बन्ध में जिला योजना में पूर्व स्वीकृत योजनाओं के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव मा० प्रभारी मंत्री, जनपद-रूड़ प्रयाग ने अधिसूची-प्रमाण, निम्नानुसार संशोधित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	पूर्व से अनुमोदित कार्य का नाम, लम्बाई व लागत	संशोधित कार्य का नाम, लम्बाई व लागत
	वर्ष 2011-12	
1/23	छकण्डागाड से लिखावटा रोड मार्ग, लम्बाई 1.00किमी०, लागत रु० 12.60लाख	बहुल रोड से बहुल मोटर मार्ग। लम्बाई 1.00किमी० लागत रु० 12.60लाख।
1/8	गैड से गैड रोड-खुर्ली-सेमल-बहुल रोड मार्ग मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 0.25किमी० लागत रु० 11.96लाख।	गैड-खुर्ली-सेमल-बहुल रोड मार्ग का निर्माण लम्बाई 0.25किमी० लागत रु० 11.96लाख।
	वर्ष 2012-13	
1/2	ककोला-शीशी-अमर रोड-कलाकोट-पिल्लू-जयकण्ठी-बासी रोड मोटर मार्ग लम्बाई 3.00किमी० लागत रु० 37.80लाख	ककोला-शीशी-अमर-रोड-कलाकोट-पिल्लू-जयकण्ठी-बासी रोड-कलाकोट रोड मार्ग लम्बाई 3.00किमी० लागत रु० 37.80लाख
1/105	गणेशनगर मोटर मार्ग के द्वारा बाजपुर रोड मोटर मार्ग। लम्बाई 2.00किमी० लागत रु० 25.20लाख	बहुल-गणेशनगर मोटर मार्ग के द्वारा बाजपुर रोड मोटर मार्ग लम्बाई 2.00किमी० लागत रु० 25.20लाख।

PG Attached

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

रूड़ प्रयाग (ऊखीमठ)

3883

19/11/2013

जिलाधिकारी

रूड़ प्रयाग

कार्यवाही हेतु

हस्ताक्षर एवं मुद्रा के साथ

क्रमसं:-2

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
रूड़ प्रयाग

Photo Copy Attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूड़ प्रयाग)

30/11/2013

पत्रांक 737/विधि, 2013-14

दिनांक 26/11/2013

प्रतिशेष विभिन्न लिखित कार्य, निम्नलिखित एवं कार्यवाही के लिए प्रेषित।

1. विधी सचिव, माओ प्रभाते पीपी जी परतल: आदेश पत्रों एवं पत्रों को अलोकनार्थ प्रेषित।
2. माओ जिला पंचायत अध्याय सहायक के अलोकनार्थ प्रेषित।
3. माओ विधायक के कार्यालय विधि नगरा को अलोकनार्थ प्रेषित।
4. सचिव लो० नि० वि० उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6. सचिव नियोजन उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पीपी।
8. महालेखाकार (लेखा प्रधान), औद्योगिक मंडल विदेशी, माफा रोड देहरादून।
9. अपर सचिव वित्त (बजट) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र, लो० नि० वि० पीपी।
11. अधीक्षण अभियन्ता समन्वय वृत्त लो० नि० वि० उत्तराखण्ड।
12. सचिव कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
13. जिला अर्थ एवं संख्या विभागी रुद्रप्रयाग।

P.C. A. Hesth

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

सिद्धि
सहायक (समन्वय)

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र - 6

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत रुकोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 28-09-2017 को पंचायती वन भूमि में प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री शिवशंकर नेगी वन दरोगा बाड़व अनुभाग एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री डी०एस० पंचार रा०उ०नि० गणेशनगर एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री हेरेंद्र कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता), द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार पंचायती वनभूमि 0.735 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.098 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल वनभूमि 0.833 है० एवं नाप भूमि 1.755 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.173 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल नाप भूमि 1.928 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित पंचायती वनभूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रस्तावित परियोजना जनहित में किया जाना है, व इस परियोजना के निर्माण से 1 गाँव व 194 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 29 वृक्षों का पातन निहित है। जिसकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुकोला (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुकोला (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुकोला (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रुकोला (रुद्रप्रयाग)


राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व विभाग
क्षेत्र...
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग
वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
वगस्त्यभूमि


सहायक अभियन्ता
रुकोला
जनपद रुद्रप्रयाग
उप प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
रुकोला


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र अगस्त्यमुनि

पत्रांक 949 / 12-1 दिनांक 28/04/2018

सेवा में,

उप वन संरक्षक

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

द्वारा - उचित माध्यम।

विषय - जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशी-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पुनः संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका क्षेत्र भ्रमण दिनांक 26-04-2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में निवेदन करना है कि इस राजि क्षेत्रान्तर्गत विषयगत मोटर मार्ग पर आने वाले विभिन्न प्रजाति के 29 वृक्षों की गणना पुनः आपके क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिनांक 26-04-2018 को श्री शिशुपाल सिंह नेगी वन दरोगा बाड़ब अनुभाग के द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता लो०नि०वि० ऊखीमठ को साथ में लेकर की गयी है, विषयगत भूमि पर आने वाले विभिन्न प्रजाति के 29 वृक्षों की गणना सूची वन दरोगा द्वारा पुनः निम्न प्रकार से प्रेषित की गयी-

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग सेंमी में																					
			0-10		10-20		20-30		30-40		40-50		50-60		60-70		70-80		80-90		90 Over		Total	
			F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U	F	U
1	नाप खेत ककोला	भीमल	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	01
		महुआ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	01
		बाज	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	01
		चीड़	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	01
2	नाप खेत शीशी	चीड़	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	04
		भीमल	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	04
		तिमला	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	02
		छोड़ू	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	05
3	पन पंचायत ककोला	बाज	-	-	-	1	-	1	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
योग			0	0	0	11	0	8	4	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	23

Total -6 F+23 U = 29 (कुल उन्नतीस वृक्ष)।

अतः सूचना एवं वन दरोगा की गणना सूची महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सलंगनक- उपरोक्तानुसार।

मा० 1-5-18
वृ०. प्रियंका शर्मा
शुभ
28/04

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज अगस्त्यमुनि

**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Construction Division P.W.D. Ukhimath** (for diversion under FCA-1980) of **0.833 ha.** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Kakola Shisho - Amartondla - Kalakot - Jaykandi - Bagaddhar - Kanda - Ganeshnagar Motor Road.** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated **26-04-2018.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF / PF / un-classed / Other forests measuring **0.883 ha. (0.735 ha. Road + 0.098 ha. Muck Disposal Total 0.883 ha. Village Forest Land)**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **Yes**

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **No**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommend in the Public Interest.

(Signature)

Place:- **Rudraprayag**

Name - (Mayank Shekhar Jha)
Designation - D.C.F

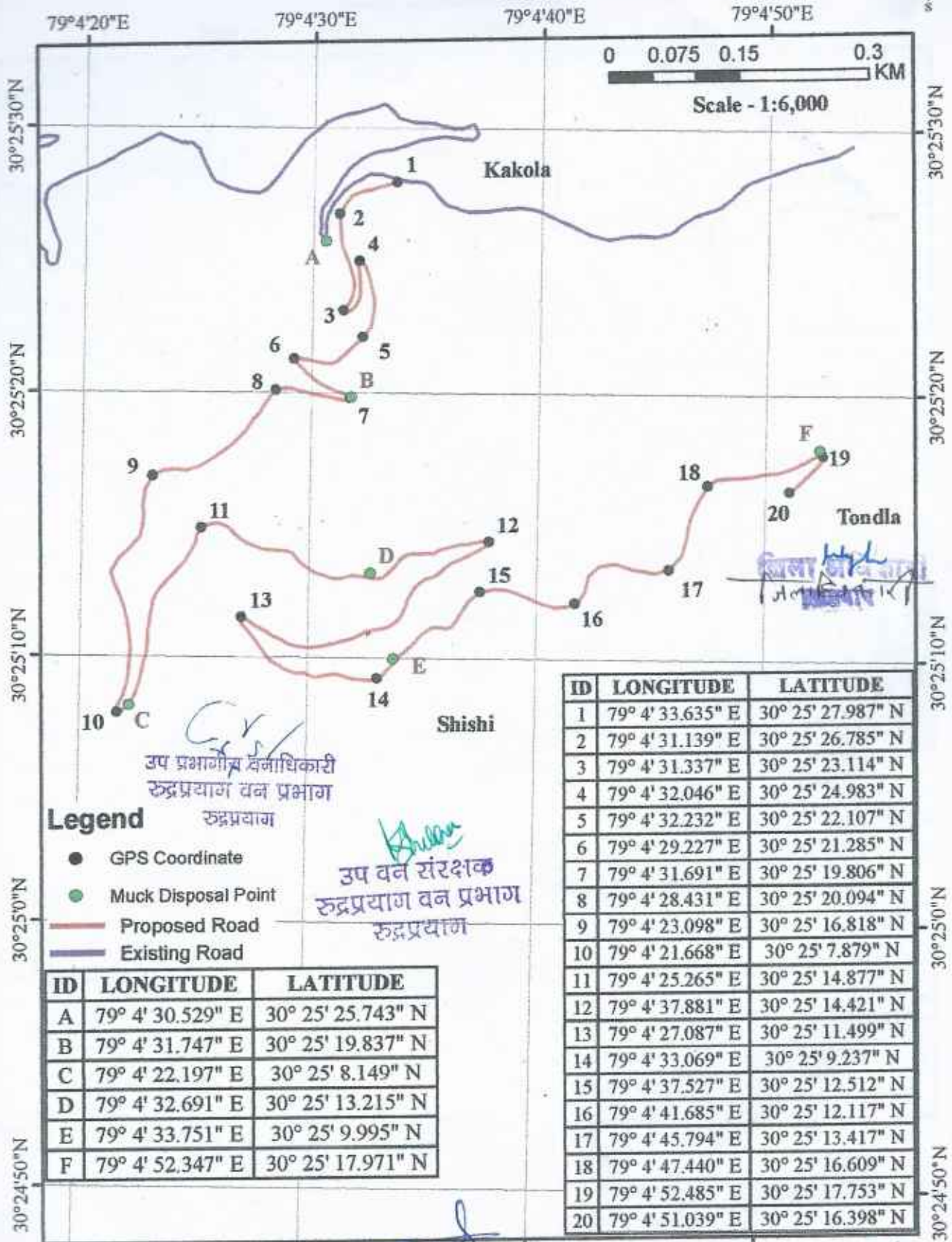
Date :- **26-04-2018.**

Office Seal **उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग**

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

जीयोरफेरिन्स मैप -जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशी-अमर
तोन्दला-कलाकोट-पिल्लू-जयकण्ठी-बगड़धार-आसों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- GPS Coordinate
- Muck Disposal Point
- Proposed Road
- Existing Road

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 4' 30.529" E	30° 25' 25.743" N
B	79° 4' 31.747" E	30° 25' 19.837" N
C	79° 4' 22.197" E	30° 25' 8.149" N
D	79° 4' 32.691" E	30° 25' 13.215" N
E	79° 4' 33.751" E	30° 25' 9.995" N
F	79° 4' 52.347" E	30° 25' 17.971" N

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 4' 33.635" E	30° 25' 27.987" N
2	79° 4' 31.139" E	30° 25' 26.785" N
3	79° 4' 31.337" E	30° 25' 23.114" N
4	79° 4' 32.046" E	30° 25' 24.983" N
5	79° 4' 32.232" E	30° 25' 22.107" N
6	79° 4' 29.227" E	30° 25' 21.285" N
7	79° 4' 31.691" E	30° 25' 19.806" N
8	79° 4' 28.431" E	30° 25' 20.094" N
9	79° 4' 23.098" E	30° 25' 16.818" N
10	79° 4' 21.668" E	30° 25' 7.879" N
11	79° 4' 25.265" E	30° 25' 14.877" N
12	79° 4' 37.881" E	30° 25' 14.421" N
13	79° 4' 27.087" E	30° 25' 11.499" N
14	79° 4' 33.069" E	30° 25' 9.237" N
15	79° 4' 37.527" E	30° 25' 12.512" N
16	79° 4' 41.685" E	30° 25' 12.117" N
17	79° 4' 45.794" E	30° 25' 13.417" N
18	79° 4' 47.440" E	30° 25' 16.609" N
19	79° 4' 52.485" E	30° 25' 17.753" N
20	79° 4' 51.039" E	30° 25' 16.398" N

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसील, रुद्रप्रयाग

जनपद रुद्रप्रयाग

बाधशासा अभियन्ता

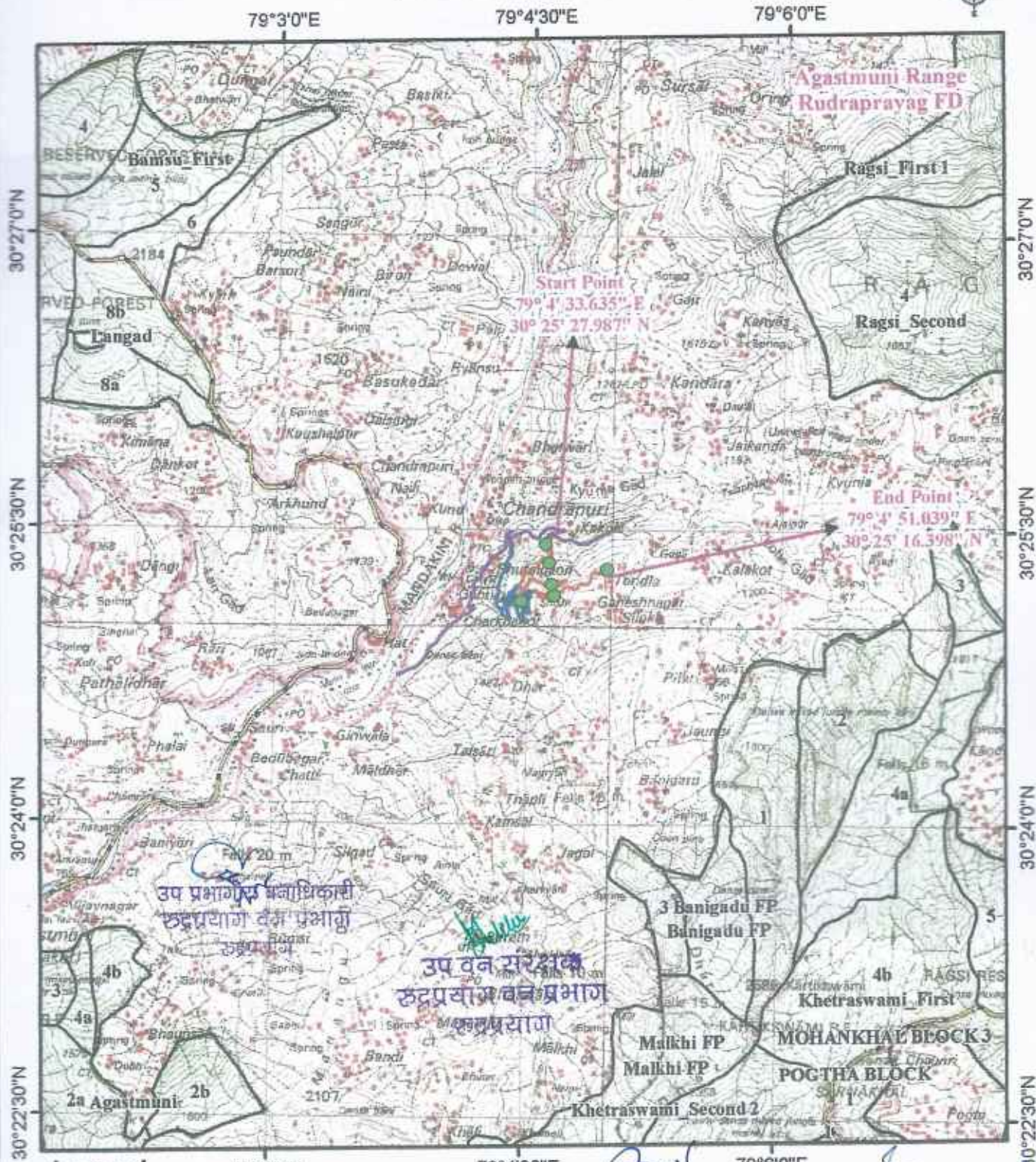
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशाधिकारी

डिजिटल मैप :- जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशी-अमर तोन्दला-कलाकोट-पिल्लू-जयकण्डी-बगड़धार-आसों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 2 Km



Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Boundary
- Range Forest Boundary
- Reserve Forest Area

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपनिर्देशक
ककोला-शीशी-अमर तोन्दला-कलाकोट-पिल्लू-जयकण्डी-बगड़धार-आसों

उपनिर्देशक

उपनिर्देशक

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिला अधिकारी
जिला अभियन्ता
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जाना है जो चन्द्रापुरी-गुगली मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से प्रस्तावित है। ग्राम-शीशों मोटर मार्ग से काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित है, प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम शीशों, मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा तथा स्थानीय जनता को आवागमन हेतु यातायात की सुविधा होगी जिससे शिक्षा,स्वास्थ्य व कृषि जैसी सुविधाओं हेतु सीधे तहसील मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

अतः ली गयी 0.833 है० पँचायती वनभूमि न्यूनतम है। तथा संमरक्षण का चयन करते इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि संमरक्षण पर कम से कम वनभूमि पड़े तथा न्यूनतम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो।



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यगुनि



उप प्रमार्गीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक संमरेश्वणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहप्रमुख अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
लग लक्ष्मण


उप-प्रभागीय वन्यधिकारी
उप-प्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप-वन संरक्षक
प्रभागीय वन्यधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संरक्षण आख्या

कार्य का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-सिसौ-अमरतोन्दला -कलाकोट-जयकण्डी-बगडधार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मार्ग की स्वीकृति:- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग का पत्रांक पत्रांक 737 /विविध/2013-14 दिनांक 26-12-2013।

स्वीकृत लम्बाई/स्पान:- 3.00 कि.मी.

प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई :- 3.00 कि.मी

स्वीकृत लागत :- 37.80 लाख।

संरक्षण की उपयोगिता:- जनपद जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-सिसौ-अमरतोन्दला -कलाकोट-जयकण्डी-बगडधार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग का निर्माण चन्द्रापुरी -गुगली मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से प्रस्तावित किया गया है। इस मार्ग के समरेखण में 8 हेयर पिन बैंड आते हैं जो की 1- 0.200 कि०मी०, 2- 0.270 कि०मी०, 3- 0.460 कि०मी०, 4- 0.540 कि०मी०, 5- 1.110 कि०मी०, 6- 1.730 कि०मी०, 7-2.100 कि०मी०, 8-2.940 कि०मी० में प्रस्तावित हैं। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्रामवासियों को ऊखीमठ तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने हेतु यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मार्ग का संरक्षण जिस पर स्थानीय ग्रामवासियों की भी सहमति है।

अतः मार्ग का संरक्षण तकनीकी दृष्टिकोण एवं स्थानीय ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर गठित किया गया है।

संरक्षण का विवरण:-

इस प्रकार सर्वे आफ इण्डिया के कन्टूर, मानचित्र पर प्रस्तावित समरेखण क्रमशः लाल एवं हरे रंग से दर्शाया गया है। जिसमें लाल रंग प्रस्तावित संरक्षण से क्षेत्र की जनता सन्तुष्ट है तथा तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरक्षण (1) ही उचित है।

अतः प्रस्तावित संरक्षण जो कि लाल रंग से अंकित है संस्तुति सहित अनुमोदन हेतु प्रेषित।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रतिवेदन

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-सिसौ-अमरतोन्दला- कलाकोट-जयकण्डी-बगडधार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-सिसौ-अमरतोन्दला- कलाकोट-जयकण्डी -बगडधार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि०मी० में नव निर्माण किया जाना है। जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्रांक 737 /विविध/2013-14 दिनांक 26-12-2013 द्वारा प्राप्त हुई थी। इस मोटर मार्ग की स्वीकृति के पश्चात मोटर मार्ग पर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके अनुसार मोटर मार्ग ग्राम ककोला से आरम्भ होता है, जो कि चन्द्रापुरी -गुगली मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 पर स्थित है। समरेखण में नाप भूमि एवं वन भूमि पड रही है। प्रारम्भ में ग्रामीणां द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु नाप भूमि देने से मना किया गया था, जिसके उपरान्त पुनः सर्वेक्षण कर एवं ग्रामवासियों से वार्ता कर विवाद सुलझाया गया है। नये सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामवासी नाप भूमि देने के लिए सहमत है। एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

उक्त समरेखण पर दिनांक 6/6/2015 को वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण कराया गया। भू-गर्भीय सर्वेक्षण आख्या संलग्न है। जिसके अनुसार उक्त समरेखण जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है। 3 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयुक्त बताया गया है।

Photo Copy Attested
राजेश्वर अधिकारी
जिला पंचायत (रुद्रप्रयाग)
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सौराव विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड जो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

समरंखण (1) लाल रंग में

समरंखण (2) हरा रंग में

क्र.सं.	मद का नाम	समरंखण (1) लाल रंग में	समरंखण (2) हरा रंग में
1.	मुख्य विषयताएं एवं विवरण	यह सरंखण जनपद रुद्रप्रयाग चन्द्रापुरी-गुमली मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से प्रस्तावित किया गया है। जिसकी लम्बाई 3.00 किमी. है। वर्तमान में पैदल मार्ग से चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्रामवासियों को सड़क यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।	समरंखण नं. 1 के अनुसार
2.	प्रास्तवित दृष्टिकोण से समरंखण की लम्बाई	3.00 किमी.	3.00 किमी.
3.	वर्तमान यातायात के साधन	पैदल मार्ग	पैदल मार्ग
4.	भूमि (अ) वन भूमि (ब) कृषि योग्य भूमि 1. सिंचित 2. असिंचित	1.050 किमी. शून्य 2.950 किमी.	2.00किमी. शून्य 1.00किमी.
5.	सूर्य प्रकाशित भूभाग	सम्पूर्ण लम्बाई में	सम्पूर्ण लम्बाई में
6.	भूस्खलन	शून्य	सम्भावित
7.	भूमि	मिट्टी, पत्थर, कठोर चट्टान आदि	मिट्टी, पत्थर, अत्यधिक कठोर चट्टान आदि
8.	वनस्पति	पैड़ पौधे कुल 29 पेड़	पैड़ पौधे कुल 58 पेड़
9.	मार्ग का ढाल	सम्पूर्ण लम्बाई में 1:22, 1:18, 1:20 व हेयर पिन बैण्ड पर 1:30	सम्पूर्ण लम्बाई में 1:16, 1:18, 1:20 व हेयर पिन बैण्ड पर 1:30
10.	अनुप्रस्थ ढाल-1. सामान्य ढाल 2. तीव्र ढाल	25° शून्य	30° शून्य
11.	भू-भाग 1. कठोर चट्टान 2. कोमल चट्टान	1.00 किमी. 2.00 किमी.	2.00 किमी. 1.00 किमी.
12.	अस्थिर भूमि की लम्बाई	शून्य	शून्य

क्रमशः - 2-

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरा रंग में
1	2	3	4
13.	साधन 1. लकड़ी 2. पत्थर 3. मजदूर	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता	स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता स्थानीय उपलब्धता
14.	पानी का निकास (अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार (अ) बड़े पुल संख्या व विस्तार	शून्य शून्य	शून्य शून्य
15.	वर्षा एवं जलवायु की दशा	मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु	समरेखण नं. 1 अनुसार
16.	लाभाविन्त ग्रामों की संख्या (अ) प्रत्यक्ष रूप से (ब) अप्रत्यक्ष रूप से	ग्राम का नाम कोड सं. जनसंख्या एस.सी. शीसो अमरतरेन्दला गणेशनगर	समरेखण नं. 1 अनुसार
17.	वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध	ह सरेखण जनपद रुद्रप्रयाग चन्द्रापुरी - गुगली मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से प्रस्तावित किया गया है। जिसकी लम्बाई 3.00 किमी. है। वर्तमान में पैदल मार्ग से चलना पड़ता है। स्वीकृत मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्रामवासियों को सड़क यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
18.	सामरिक महत्व	8 नं०	9 नं०
19.	हेयर पिन बैंड		
20.	कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व	क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे आलू, माल्टा, नीबू, नारंगी व दालों आदि का ढुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी।	समरेखण नं. 1 अनुसार
21.	वन सम्पदा का उपयोग	जड़ी बूटी एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड जो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attached

अभिधीनता
निर्माण खण्ड, जो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अभिधीनता
निर्माण खण्ड जो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

क्रमशः - 3

(23)

क्र.सं.	मद का नाम	समरेखण (1) लाल रंग में	समरेखण (2) हरी रंग में
1	2	3	4
22.	खनिज सम्पदाओं का उपयोग।	खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।	समरेखण नं. 1 अनुसार
23.	लाभ व हानि	1. मिट्टी पत्थर 2. ग्रामवासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी। 3. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी है। 4. इस संरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। 5. कम पेड़ों का पातन होगा।	1. कठोर चट्टानें अधिक पड़ेगी। 2. ग्रामवासियों के मकानों के क्षति होने की सम्भावना है। 3. नाप भूमि अधिक पड़ने, मकानों के ऊपर मलबा आने की सम्भावना के कारण स्थानीय जनता इस संरेखण से सन्तुष्ट नहीं है। 4. भूस्खलन होने की सम्भावना के कारण मार्ग तकनीकी दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है। 5. अधिक पेड़ों का पातन होगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attended
राज्यक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सारांश

संलग्न तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट है कि संरेखण संख्या (1) जो कि लाल रंग से दर्शाया गया है, आर्थिक, भौगोलिक एवं तकनीकी रूप से उपयोगी है तथा इस प्रस्तावित संरेखण से जनता सन्तुष्ट है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. (1) जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु प्रेषित है। मार्ग केवल 3.00 किमी. लम्बाई में निर्मित होना है, निर्माण कार्य कठोर चट्टान, कृषि भूमि आदि में किया जाना है।

अतः प्रस्तावित समरेखण नं. 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy
Attested
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी वैकल्पिक समरंखण को कार्य स्थल पर मेरे द्वारा दर्शायी गयी तिथि को निरीक्षण के समय देख लिया गया है। तथा प्रस्तावित समरंखण कार्य स्थल की तकनीकी दृष्टि से उचित है।

1. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि18-03-2015
2. सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि.....06-04-2015
3. अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण की तिथि.....10/04/2015

अतः प्रस्तावित समरंखण नं. 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, का अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो. नि. वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attached
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
PWD/-Peel

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-
बगड़थार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि०
को हस्तान्तरण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण उसके निरस्त किये जाने का कारण का
प्रमाण पत्र

संरेखण नम्बर	प्रभावित वन भूमि (है.में)	प्रभावित वृक्षा की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि.मी. में)	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.833	29	1.050	-
संरेखण-2	1.400	58	2.000	अधिक वृक्षों का पातन व वनभूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त दोनों संरेखणों में से संरेखण न० 1 (एक) उपयुक्त है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजन हेतु आवेदित राज्य व संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित **0.833** है। पंचायती वनभूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्क अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिप्रासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



राजेश उप निरीक्षक
राजेश उप निरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग
वन विभाग
अगस्त्यमुनि



राजेश उप निरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग
वन विभाग



उप प्रभागिय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ



उप वन संरक्षक
प्रभागिय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शैड्यूल
(संरक्षित / आरक्षित वन भूमि)

परियोजना का नाम:—जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

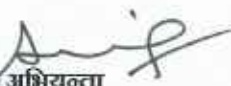
जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है.)
←			शून्य			→



अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वन प्रभागीय अधिकारी
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



उप वन संरक्षक
उपप्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-15.1
लैन्ड शैड्यूल

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भूमि की श्रेणी:-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा संख्या	कुल रकबा	वन भूमि में परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है.)
रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ	उमगस्तकुनी	ग्रा.के.के. - 466 - 2.267 467 - 0.080 559 - 0.118 560 - 0.857 798 - 0.239 799 - 0.168 ग्राम, शीशों 18 - 0.020 20 - 0.180 267 - 0.028		1050	7	0.735 मोटर मार्ग निर्माण हेतु + 0.098 मकड़मपगं हेतु = 0.833


अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


राजेश्वर उप निरीक्षक
बाड़व
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग


न. न. शर्मा
ऊखीमठ
जनपद रुद्रप्रयाग


उपजिलाधिकारी
ऊखीमठ


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

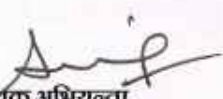
प्रपत्र-16

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	1050	7	0.735 + → 0.098 = 0.833
	वनभूमि का योग:-	1050		0.833
4	नाप भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक इम्पिंग हेतु	1950	9	1.755 + → 0.173 = 1.928
	कुल योग:-	3000	-	2.761


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

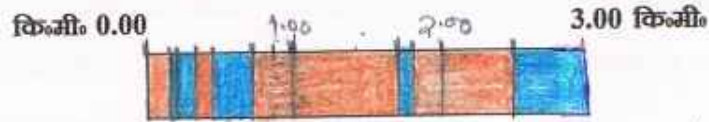

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-17

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बारचार्ट का प्रारूप



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (है० में)
आरक्षित वनभूमि	शून्य	शून्य
राज्य भूमि	शून्य	शून्य
पंचायती वनभूमि	Blue	0.735 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.098 है० मक इम्पिंग हेतु = 0.833 है०
नाप भूमि	Orange	1.755 है० मोटर मार्ग हेतु + 0.173 है० मक इम्पिंग हेतु = 1.928 है०

[Signature]
अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
आदेशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

[Signature]
राज्य सरकार के वन संचालक
क्षेत्र...
तहसील...
जनपद रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप वन संचालक
ऊखीमठ
रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप जिलाधिकारी
ऊखीमठ

[Signature]
वन संचालक
ऊखीमठ

[Signature]
उप वन संचालक
उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

[Signature]
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

[Signature]
उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

[Signature]
जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-18कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति होने के उपरान्त ही निरमाण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वनक्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि


उप प्रभागीय वनधिकारी
उपप्रभागीय वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशौं-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 26-04-2018 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्राभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

पंचायती वन भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	वन पंचायत ककोला	बाँज	-	01	01	06	-	02	-	-	-	-	10
	योग:-		-	01	01	06	-	02	-	-	-	-	10

सहायक उप निरीक्षक
क्षेत्र भू-मण्डल एवं वन संरक्षण
तहसील ...
जनपद रुद्रप्रयाग

उप प्रभारी वन अधिकारी
उप प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
रुद्रप्रयाग

उप निरीक्षक
प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-19.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशी-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

व फा दि 26-04-2018

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 28-09-2017 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी :-

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	नापभूमि ककोला	भीमल	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
		महुआ	—	—	—	01	—	—	—	—	—	—	01
		बाँज	—	01	—	—	—	—	—	—	—	—	01
		चीड़	—	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
2	नापभूमि शीशी	चीड़	—	04	—	—	—	—	—	—	—	—	04
		भीमल	—	—	04	—	—	—	—	—	—	—	04
		तिमला	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02
		खैड़	—	05	—	—	—	—	—	—	—	—	05
योग:-			—	10	08	01	—	—	—	—	—	—	19

राज्य उप निरीक्षक
राज्य उप निरीक्षक
क्षेत्र 34 काठमांडू गणेशनगर
वृक्षीय
जनपद रुद्रप्रयाग
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

राज्य उप निरीक्षक
क्षेत्र 34 काठमांडू गणेशनगर
वृक्षीय
जनपद रुद्रप्रयाग
वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप निरीक्षक
असीमठ

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र - 20.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	सिविल सोयम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत	-	01	01	06	-	02	-	-	-	-	10
	योग	-	01	01	06	-	02	-	-	-	-	10
4	नाप भूमि	-	10	08	01	-	-	-	-	-	-	19
	कुल योग	-	11	09	07	-	02	-	-	-	-	29

वन क्षेत्र अधिकारी
वन विभाग
मसूर

उप प्रभारी वनाधिकारी
उपप्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

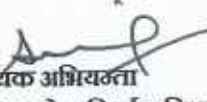
प्रपत्र - 21

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले 29 वृक्षों का पातन किया जाना है।

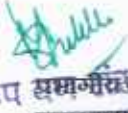

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधीक्षारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन निरीक्षक
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप प्रभारी वन अधिकारी
उप प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशो-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

क्र०सं०	ग्राम / ब्लाक का नाम	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का वानस्पतिक नाम	वृक्षों की संख्या	व्यास से०मी० में	दर प्रति पेड़	कुल धनराशी	टिप्पणी
1	वन पंचायत ककोला	बाँज	Quercus Leucotrichophora	1	10-20	163.00	163.00	
				1	20-30	253.00	253.00	
				6	30-40	545.00	3270.00	
				2	50-60	1989.00	3978.00	
योग:-				10		7664.00		
2	नापभूमि ककोला	भीमल	Andromeda	1	20-30	180.00	180.00	
		महुआ	Andromeda	1	30-40	438.00	438.00	
		बाँज	Quercus Leucotrichophora	1	10-20	163.00	163.00	
		चीड़	Pinus roxburgii	1	20-30	674.00	674.00	
3	नापभूमि शीशी	चीड़	Pinus roxburgii	4	270	163.00	652.00	
		भीमल	Andromeda	4	20-30	180.00	720.00	
		तिमला	Andromeda	2	20-30	180.00	360.00	
		खैरू	Acacia catechu	5	50-60	32079.00	160395.00	
योग:-				19		163582.00		
कुल योग:-				29		171246.00		

वन क्षेत्राधिकारी
अमरसदमुनि

उप प्रभाग वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रणाली वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

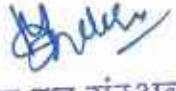
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने पेड़ों का कुल मूल्य रु०- 171246.00 आंकलित किया जाता है।


उप-प्रभागिय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्र अधिकारी
अगस्त्यमुनि


उप-प्रभागिय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-22

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दि० _____ को स्थलीय निरीक्षण किया गया स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग
			0.10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	वन पंचायत ककोला	बाँज	-	01	01	06	-	02	-	-	-	-	10
	योग:-		-	01	01	06	-	02	-	-	-	-	10

वन संरक्षक

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लोनीवि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना मे वृक्ष प्रभावित न होने की दशा मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

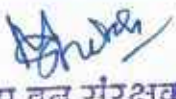

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्राधिकारी
गस्त्यमनि


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन संरक्षण विभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-24

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
परसपुर


उप प्रभारी वन अधिकारी
उप प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण से दूरी व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से दूरी 9.50 कि०मी० है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
खगस्त्यमुनि

उप प्रभागीय वन अधिकारी
उप प्रभागीय वन अधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

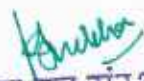
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है।


वन अधिकारी
गस्त्युनि


उप प्रभागीय वनधिकारी
उप प्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनधिकारी
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काणड़ा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्यजीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड

प्रधान ग्राम पंचायत धारतोन्दला

विकासखण्ड अगस्त्यमुनि, जनपद-रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

श्रीमती अनिता रावत
प्रधान

पता:- ग्राम व पो0 धारतोन्दला
विकासखण्ड-अगस्त्यमुनि
जनपद-रुद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)
मो0-9557519293

पत्रांक 17/06/2015

दिनांक 17/06/2015

अनापत्त प्रमाण पत्र:-

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ककोला से स्वीकृत मोटर मार्ग, नशीली, उमरतोला एवं जणेशनाद के निर्माण हेतु भूमि देने पर हमादी किसी भी प्रकार से कोई आपत्त नहीं है,



P.C. Attested

सहसचिव
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested

सहोपक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० वि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain

relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.833** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Kakola-Sieson-Amartondla-Jaikandi-Bagadhar-Kanda-Ganeshnagar motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of Dhastondla villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.833** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature


जिला अधिकारी
District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mangesh S. Chidiyal District Magistrate, Rudraprayag District, on the date 7/2/2018 at time 5:00 PM in Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.833 hectare for the construction of Kakola-Sieson-Amartondla-Jaikandi-Bagadhar-Kanda-Ganeshnagar motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.


District Magistrate Cum-Chairman
District Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.

प्रारूप - 30.2

परियोजना का नाम: - जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.735 है० पंचायती वन भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.098 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.833 है० पंचायती वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- ऊखीमठ) की दिनांक 12-12-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री गोपाल सिंह वैद्य उपजिलाधिकारी तहसील ऊखीमठ अध्यक्ष
2. श्री महेश्वर सिंह उपप्रभागीय वनधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग सदस्य
3. श्री हर्षवर्धन मंड सहायक समाज कल्याण अधिकारी विष्णुखण्ड उपखण्ड सदस्य/सचिव
4. श्री महेश्वरी देवी वी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत - चार देव देला सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.833 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी श्री गोपाल सिंह वैद्य द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.833 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

वी०डी०सी० सदस्य महेश्वरी देवी
सहायक समाज कल्याण अधिकारी विष्णुखण्ड उपखण्ड
उपप्रभागीय वनधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ, जनापट - रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - ऊखीमठ, जनापट - रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - भारतोन्दला

तहसील - ऊखीमठ, जिला - रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु पंचायती वनभूमि 0.735 है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.098 है। मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.833 है। पंचायती वनभूमि का लो०नि०वि० के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक ०१ / १२ / 2017 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० द्वारा आवेदित पंचायती वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पंचायती भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमिति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भारतोन्दला के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो०नि०वि० को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत
अनिता
लो०नि०वि० वन संरक्षण
कार - वीन्दला
सरपंच
अनिता

प्रधान
ग्राम पंचायत



परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 01/12 /2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - अमरतोंन्दला

क्र. स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	प्रेम सिंह	
2	कमल सिंह	
3	राजेन्द्र सिंह	
4	गोपाल सिंह	
5	जगदीश सिंह	
6	जयपाल सिंह	
7	रघुवीर सिंह	
8	देवेन्द्र सिंह	
9	राजे सिंह	
10	गजपाल सिंह	

सरपंच
वन पंचायत
ककोला
धार - तोंदला
अमरतोंन्दला

प्रधान
ग्राम पंचायत
अनिल
दि०
वि० ख०

Geological Assessment of 3.0 Km long Alignment Corridor proposed for the Construction of Kakola- Sleson-Amartola- Jaikandi-Bagadhar- Kanda- Ganeshnagar Motor Road, Distt. Rudraprayag.

Vijay Dangwal
06.06.2015

1-Introduction:- The Construction Division Public Works Department, Ukhimath has been entrusted for the construction of 3.00 km long motor road vide G.O. No. -737/ Misc./2013-14 Dated 26.11.2013. On the request made by Shri Manoj Das, Executive Engineer, PWD Ukhimath, I carried out the geological assessment of the proposed alignment corridor of this road on 25.04.2015. Shri Andeep Rana, Asstt. Engineer and Shri Ashok Kumar, Jr. Engineer, also accompanied the site visit.

2- Location :- The alignment corridor of this proposed motor road originates from Km. 3.50 of Chandrapuri -Guli - Ganeshnagar motor road.

3-Geological Assessment:- Geologically the alignment corridor of this proposed road falls in a part of Garhwal Lesser Himalayan Belt which is bounded by the Main Central Thrust (MCT) in the north and the Main Boundary Thrust (MBT) in the south. The rockmasses belonging to the Garhwal Group are exposed in this area and these are represented by the quartzites, chlorite schists, amphibolites and spillites. The terrain containing this alignment is characterized by the rugged and dissected topography containing the steep hill slopes and deeply dissected valleys. Fresh to moderate, fine to coarse grained, thinly to massive, hard and compact quartzites interbedded by the thin partings of phyllites/ chlorite schists and amphibolites are exposed along the alignment corridor. These rock masses are dissected by four prominent joint sets and most of these are marked by the long persistence. The facets of slopes are largely controlled by the bedding/ foliation joints oriented in the north- east direction and the joint set oriented in the southwest direction. The details of the joint sets recorded at the sites are given in the following table.

Table

Sl. No.	Feature	Dip Angle	Azimuth
1	2	3	4
J ₁	Bedding joint (So)	35°	N090
J ₂	Joint	40°	N055
J ₃	Joint	55°	N270
J ₄	Joint	45°	N350

The rocks exposed along the alignment corridor are largely overlain by the thick cover of overburden materials comprised of the composite soils. The rocks exposed to the ground exhibits high values of physical competency based on the manual tests performed at the site. The observed values of "Uniaxial Compressive strength" of the ground forming rocks were ranging between 100 M Pa to 200 M Pa.

Most of this alignment corridor is occupied by the overburden material composed of the hill/ slope wash material. This overburden material contains angular rock fragments embedded in the silty- clayey matrix. The soils deposited on the alignment slopes exhibits high values of physical competency especially under dry state. According to the assessment made at the site the " Undrained Shear Strength " of the ground forming soils was found ranging between 400 K Pa to 500 K Pa. And these are " Stiff " to " Very Stiff " soils in nature.

By and Large the alignment slopes are stable and free from any mass wasting activities. Nowhere land sliding/ ground subsidence /rock falls and ground deformation were noticed at the time of field survey.

On the basis of the study carried at the site and the facts given above the following recommendations are being made for the construction of the proposed road in question, which must be incorporated at the time of road construction and failing to these this report will be treated as cancelled.

4- Recommendations:-

1. To the possible extent of technology form the road bench by partial excavation of the hill slopes and partial filling on the valley side part, i.e. half cut half fill method.
2. Avoid deep box cuts and full excavation of the hill slope this is so as to maintain the overall stability of the hill slopes.
3. Protect the entire road by constructing hill and valley side properly designed retaining walls.
4. Make proper arrangements for the drainage of surface waters. The hill side long drains must have adequate cross section to accommodate the waters from the catchment and the surface of the road. The cross drainage arrangements shall be made such that the waters are disposed preferably on the natural drainages otherwise on the stable grounds.
5. The entire surface of the road shall be sealed by the black top immediately.
6. The excavated waste shall be used for the construction of road and walls based on its suitability.

All the construction activities shall be carried as per the standard codes of practice and the guidelines of MoRH.

Recommendations:- Geologically the 3.00 km long alignment corridor proposed for the construction of Kakola- Sieson-Amartola- Jaikandi-Bagadhar- Kanda-Ganeshnagar motor road located in Distt. Rudraprayag was found suitable for the construction.

V. Dangwal
06/06/2015
(V. Dangwal)

Senior Geologist
Office of the Engineer in Chief
Public Works Department
Dehradun

Photocopy attested

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Photo Copy Attested

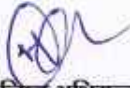
[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़थार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्षी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

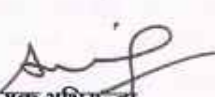
Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
 - (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
 - (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
 - (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
- A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

:मानक शर्तें:

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- 3- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेन्सी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकरे का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी सहमत हैं।
- 6- परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता ऐजेन्सी के ब्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की रेखा-देख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध बनाय गये मुनारो रखा-खाव किया जायेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नहरसरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकरक के भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता ऐजेन्सी को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर श्रेयस्मय तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चोड़ीकरण कार्य करण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति की जानी अनिवार्य है को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. प्रयोक्ता ऐजेन्सी के वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा किया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगुने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता ऐजेन्सी वन विभाग को किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरीडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी उक्त कार्य स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा उनका संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-37

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-
बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि०
को हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वनभूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक
स्थल, धार्मिक स्थल स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वनभूमि
सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन्य जीव /वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्यजीव /स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

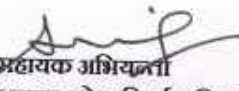
प्रपत्र-39

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल /रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु के दौरान वन सम्पदा का प्रयोग भोजन पकाने में नही करेगा तथा रसोई गैस व कैरेसिन तैल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करेगा। जिसकी आपूर्ति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


महायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-40

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों /परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र.स.	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	शीशों	194	50


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

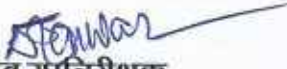

अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-41

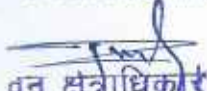
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रयोजन हेतु 0.833 है० वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रु० 7.00 लाख प्रति है० है। तथा वनभूमि का कुल मूल्य रु० 5.83 लाख होता है।


राजरज उपनिरीक्षक

राजरज उप निरीक्षक
क्षेत्र भूखण्ड 124/125
तहसील रुद्रप्रयाग
वनपद रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग


उपनिरीक्षक
रुद्रप्रयाग


जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग


उपनिरीक्षक
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गतकोड़ा-शीशों-अमरतोदला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर तक मोटर मार्ग (0.833 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन मृनि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लपट किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 290

प्रथम चरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु०)	धनराशि
1	ट्रीगाड क्रय करना	290	सं०	1500.000
2	गडदा खुदान (0.30x0.30x0.45)	290	गडदा	7.950
3	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	290	पौध	6.200
योग - प्रथम चरण				439103.50

द्वितीय चरण

1	गडदा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	290	पौध	1.42	411.80
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	290	पौध	1.80	522.00
3	पौध का हुलान वाहन से 25 कि०मी०	290	पौध	9.00	652.50
4	ट्री गार्ड हुलान करना	290	L.S.	50.000	14500.000
5	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	290	L.S.	75.000	21750.000
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	290	पौध	2.77	803.30

योग- द्वितीय चरण 38639.60

योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण 477743.10

कुल योग- 477743.10

कुल धनराशि

प्रथम चरण

439103.50

द्वितीय चरण

38639.60

कुल योग

477743.10

जुन वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 13.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु देय दर = 1000.00 रु०/पौध

290

पौध

290000.00

वन क्षेत्राधिकारी
अनारसमुनि रेखा
रुद्रप्रयाग

उप प्रशासक वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रस्तावित मोटर मार्ग के रिक्त पड़े स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत ककोड़ा-शीशों-अमरतोंदला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर तक मोटर मार्ग (0.833 है०) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 3.00 किमी०

चेपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- (100 पौध / प्रति किमी०) $100 \times 3.00 = 300$ पौध

रूढ़िप्रयाग वन प्रभाग रेंज - अगस्त्यमुनि

प्रथम चरण

क्र०सं०		इकाई	इकाई दर (रु०)	योग-
1	सर्वे एवं सीमाकन	0.8330 है०	115.000	95.795
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.8330 है०	3730.000	3107.090
3	ट्री गार्ड क्रय करना	300 संख्या	1500.000	450000.000
4	गड्ढा खुदान (0.30x0.30x0.45)	300 गड्ढा	7.950	2385.000
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	300 पौध	6.200	1860.000
6	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना,	0.8330 है०	915.000	762.195
	योग - प्रथम चरण			458210.080

द्वितीय चरण

1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45) (प्रति 100)	300 पौध	1.42	426
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	300 पौध	1.80	540.00
3	ट्री गार्ड डुलान करना	300 L.S.	200.000	60000.000
4	ट्री गार्ड गाढ़ना एवं फिक्स करना	300 L.S.	155.000	46500.000
5	50 बैग पौध का डुलान वाहन से 25 कि०मी०	300 पौध	9.00	675.00
6	पौधारोपण व थालाबन्दी	300 पौध	2.77	831.00
7	निराई गुडाई व मल्लिचंग (दो बार)	300 पौध	1.63	489.00
8	खाद व दवा पर व्यय	0.8330 है०	1200.00	999.60
9	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.8330 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, गोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पालीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार	0.8330 है०	2500.00	2082.50
	योग- द्वितीय चरण			119390.36
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			577600.44

तृतीय चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य	0.8330 है०	450.00	374.85
	योग- तृतीय चरण			7222.11

चतुर्थ चरण

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330 है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य	0.8330 है०	450.00	374.85
	योग- चतुर्थ चरण			7222.11

पंचम चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	0.8330	है०	450.00	374.85
योग- पंचम चरण					6847.26
छठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	0.8330	है०	450.00	374.85
छठवां चरण का योग :-					7222.11
सातवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	0.8330	है०	450.00	374.85
सातवां चरण का योग :-					7222.11
आठवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	0.8330	है०	450.00	374.85
आठवां चरण का योग :-					7222.11
नवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	0.8330	है०	450.00	374.85
नवें चरण का योग :-					7222.11
दसवां चरण					
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.8330	है०	685 प्रतिमाह / प्रति है०	6847.26
2	अन्य कार्य (अग्नि संबन्धी सुरक्षा कार्य)	0.8330	है०	450.00	374.85
दसवें चरण का योग :-					7222.11
कुल धनराशि		प्रथम चरण			458210.08
		द्वितीय चरण			119390.36
		तृतीय चरण			7222.11
		चतुर्थ चरण			7222.11
		पंचम चरण			6847.26
		षष्ठम चरण			7222.11
		सप्तम चरण			7222.11
		अष्टम चरण			7222.11
		नवम चरण			7222.11
		दशम चरण			7222.11
		कुल योग			635002.47
ग्रन्थ वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2017-18 हेतु देय दर / 379843.00 रु०/किमी०		3.000	K.M.	1139529.00	

वन विभाग
अगस्त्यगुनि देव
जयपद रुद्रप्रयाग

उप प्रभारी वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

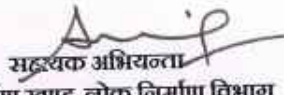
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काणड़ा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरसोन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड्यार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो(नि)वि(व) को हस्तान्तरण।

Muck Received From Hill Side Cutting

Road length		Average Cutting Width		Average Cutting Height	
Forest land	1050 m	4 m		2.5 m	
Nap land	1950 m	2.5 m		2 m	

Material Received from hill side Cutting

For Forest Land $1/2 \times 1050 \times 4 \times 2.5$

= 5250.00 Cum

For Nap land $1 \times 1950 \times 2.5 \times 2$

= 9750.00 Cum

Total muck

= 15000.00 Cum

Assuming 40% swelling of muck so muck received(A+40%)

= 21000.00 Cum

Material Utilized in the Project

Assume 40% boulders and 60% soil in the Muck

Quantity of Boulders received from muck (40% of B)

8400 Cum

Boulders used as :-

(a) RR Stone Masonary (60% of C)

5040 Cum

(b) HP Stone Filling (20% of C)

1680 Cum

(c) Wirecrates and parapits (10% of C)

840 Cum

(d) Granular sub base/ base (10% of C)

840 Cum

Total Boulders utilized

8400 Cum

oil used in filling for Half cutting-Half filling method (assume 40% of B)

5040 Cum

Muck left for disposal (B-C-D)

7560.00 Cum

Disposal of Muck/loose soil in Dumping Zones

Sl. No.	Location	Size of Dumping yard			Type of Land/ Name of owner	Area (Ha.)	Capacity (Cum)	Latitude/ Longitude
		L(m)	B(m)	H(m)				
1	Ch. 0+110	20	15	3	Van panchayat Land	0.030	900	79° 4' 30.529" E 30° 25' 25.743" N
2	Ch. 0+540	15	10	2.5	Van panchayat Land	0.015	375	79° 4' 31.747" E 30° 25' 19.837" N
3	Ch. 2+940	35	15	3	Van panchayat Land	0.053	1575	79° 4' 52.347" E 30° 25' 17.971" N
Area of Van panchayat Land						0.098 Hec		
4	Ch. 1+130	35	15	2.5	Private Land	0.053	1312.5	79° 4' 22.197" E 30° 25' 8.149" N
5	Ch. 1+500	40	15	3	Private Land	0.060	1800	79° 4' 32.691" E 30° 25' 13.215" N
6	Ch. 2+300	40	15	3	Private Land	0.060	1800	79° 4' 33.751" E 30° 25' 9.995" N
Area of Private Land						0.173 Hec		

Total Capacity of Dumping Zones

- 7762.5 Cum

Total Muck need to be disposed

- 7560 Cum

Balance Debris

- NIL

कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्र अधिकारी
अनुरोध सिंह

सहायक अभियन्ता

निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उप प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अभिज्ञानी अभियन्ता

निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन क्षेत्र अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Detail of muck disposal site in Private Land

Sl no.	Location of the Dumping yard	Owner of the Land	Khasra No.	Area of the land			Hight of the Dumping zone(m)	Volume of the Dumping zone(M)	Longitude /Latitude
				Length(m)	width(m)	Area in ha.			
1	Ch. 1+130	Gopal singh	17	35.00	15.00	0.053	2.50	1312.00	79° 4' 22.197" E 30° 25' 8.149" N
2	Ch. 1+500	Kunwar singh	19	40.00	15.00	0.060	3.00	1800.00	79° 4' 32.691" E 30° 25' 13.215" N
3	Ch. 2+300	Bachan singh	677	40.00	15.00	0.060	3.00	1800.00	79° 4' 33.751" E 30° 25' 9.995" N
Total area						0.173		4912.00	


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)

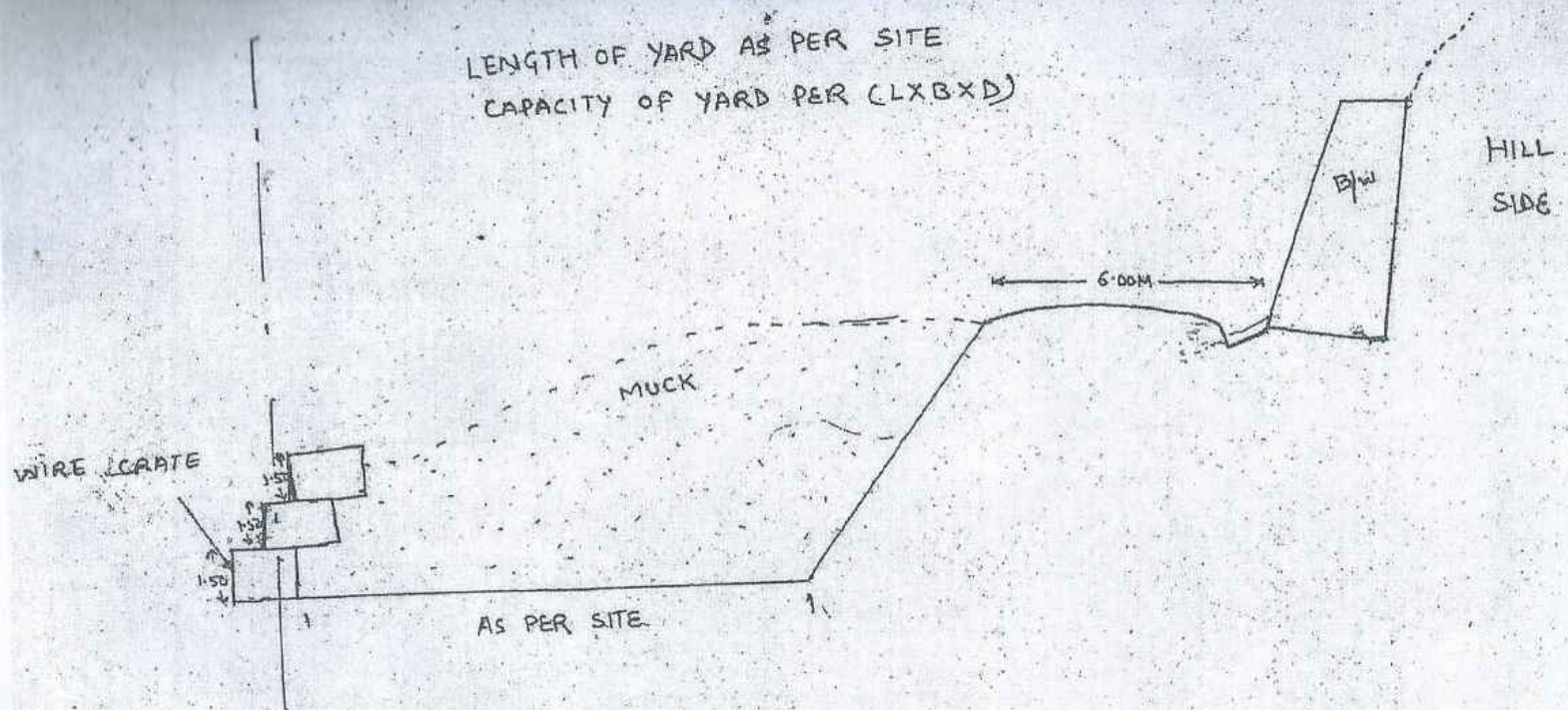

अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ(रुद्रप्रयाग)


वन क्षेत्रीय अधिकारी
अनारक्षेत्रीय विभाग
रुद्रप्रयाग


रूप निदेशक वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


प. वन सुरक्षक
प्रशासकीय वन विभाग
रुद्रप्रयाग

कम धुमि का लोडिंग/डिडो को इस्तेमाल करना।



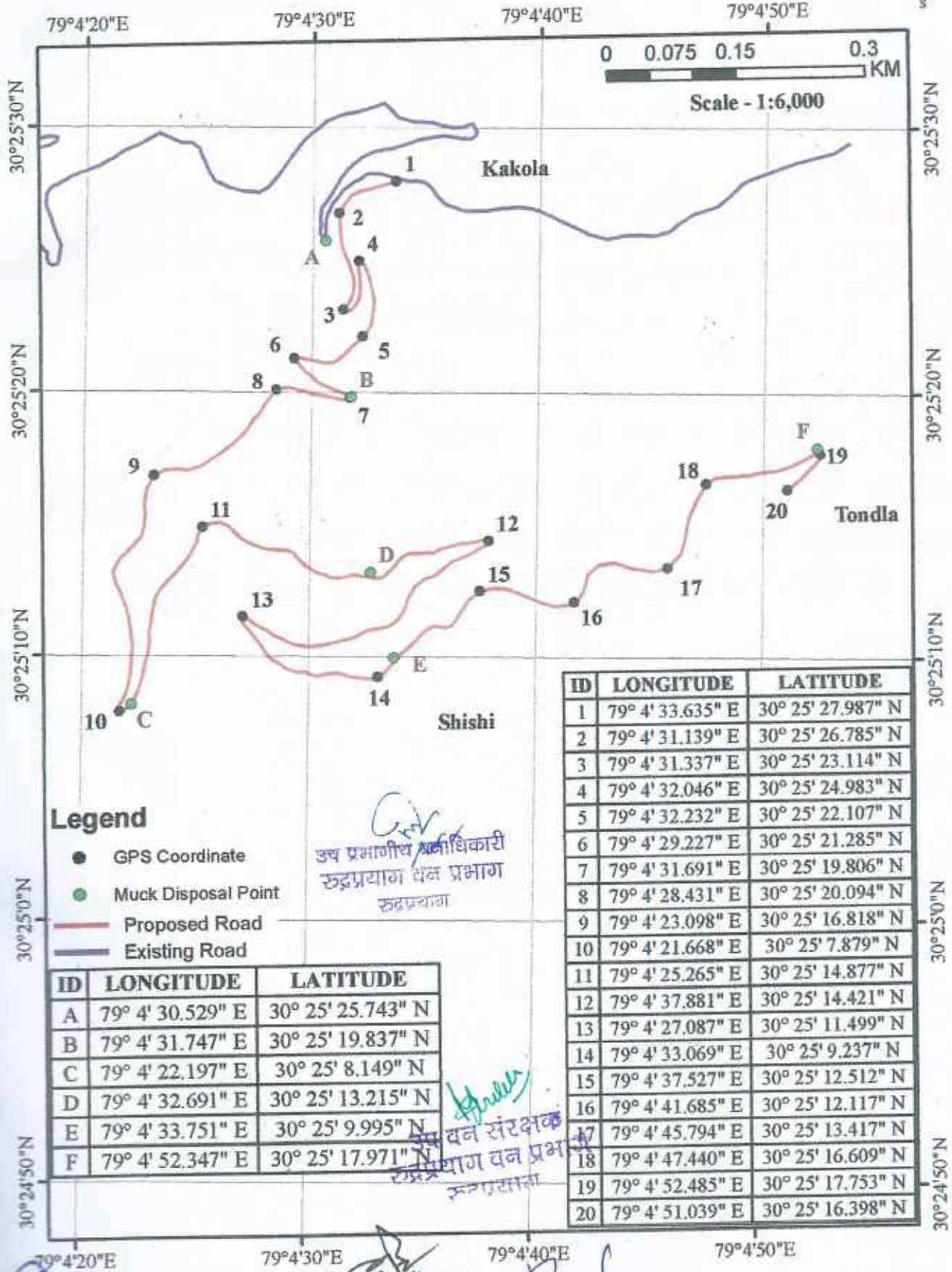
TYPICAL SECTION OF MUCK DISPOSAL YARD

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खाण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

जीयोरेफेरेंस मैप -जनपद रुद्रप्रयाग में जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशी-अमर तोन्दला-कलाकोट-पिल्लू-जयकण्डी-बगड़धार-आसों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग

कस्तीमठ (रुद्रप्रयाग) सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

कस्तीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र भूखण्ड/कस्तीमठ/रुद्रप्रयाग
तहसील... रुद्रप्रयाग

वन सहायक अभियन्ता
कस्तीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिला अधिकारी

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता

लो० नि० वि० बुखीमह (ह.क.प.पा०)

विषय:- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ककोला, शीशा
अमलोन्दला वगड़धार गणेशनगर मोटर मार्ग के
वैरान भूक डम्पिंग के सम्बन्ध में-
महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मैं उपरोक्त विषयक
मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पड़े वाले मलबे
का निस्तारण अपने नाप खेतों में देने में सहमत हूँ
युद्धे इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है,

-भवदीय ज.व.क.सि

वचन सिंह रावत

ग्राम-वगड़धार

धार-लोन्दला



सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता

लोहो रोड वि० पुर्वमण्ड (हनुमानगढ़)

विषय:- जिला योजना के अन्तर्गत एवीकृत ककोला, शीशी
अमलोनदला काइधार गणेशनगर मोटर मार्ग के
पौरान मक इम्पगि के सम्बन्ध में-

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मैं उपरोक्त विषयक
मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पड़ने वाले मलबे
का निस्तारण अपने नाप खेतों में देने में सहमत हूँ
अतः इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है,

भवदीय कुँवर सिंह

कुँवर सिंह राणा

ग्राम शीशी

काइधार-तोन्दला

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता

जो नो वि उर्खिम (ह.प्र.पा.ग.)

विषय:- जिला योजना के अन्तर्गत एवीकृत ककोला, शीशी
अमलोन्दला वगड़धार गणेशनगर मोटर मार्ग के
दौरान भूकम्पों के सम्बन्ध में-

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि मैं उपरोक्त विषयक
मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान पड़े वाले मलबे
का निस्तारण अपने नाप खेतों में देने में सहमत हूँ
मुझे इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है,

भवदीय

गोपालसिंह

गोपाल सिंह राणा

ग्राम शीशी

धर लोन्दला

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

N.P.V. की धनराशी का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3 /2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० देयता निम्नानुसार है।

- 1.ईको - क्लास श्रेणी----- V
- 2.हरियाली का घनत्व ----- 0.20 - 0.30
- 3.एन.पी.वी. की दर प्रति है.----- 657000 = ₹
- 4.आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.833 है०
- 5.कुल देय N.P.V की धनराशी----- ₹ 47,281 = ₹


वन विभागाध्यक्ष
कनकपुरी


उप प्रभागीय प्रबंधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंन्दला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-54

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंदला-कलाकोट-जयकण्ठी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण- प्रत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।



जिला अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



वन अधिकारी
गस्त्यमुनि



उप प्रभारी वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



उप वन संरक्षक
राज्य वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग